



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-221

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 277630 दिनांक 15/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajesh Gehlot S/o Bhawar Lal Gahlot	भंवर लाल सैन पुत्र राम नारायण सैन	68	200.00 SQ. YARD	Cooperative	GOKUL VIHAR-A Sector/Block-	Name Transfer	पैरा 4/एन के क्रम में लेख है कि शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गोकुल विहार-ए के भूखण्ड संख्या 68 क्षेत्रफल 200.00 व.ग. की लीजडीड दिनांक 23.11.2002 को भंवर लाल सैन पुत्र राम नारायण सैन के नाम से जारी किया गया है। भंवर लाल सैन के वारिसान निम्नानुसार है:- 1 राजेश गहलोत, पुत्र 2. मुकेश गहलोत, पुत्र 3. राजेश देवी, पुत्री। तत्पश्चात् रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 13.05.2022 द्वारा मुकेश गहलोत पुत्र स्व. भंवर लाल सैन एवं राजेश देवी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पुत्री स्व. भंवर लाल द्वारा अपने भाई राजेश गहलोत पुत्र स्व. भंवर लाल के हक में कर दिया गया। आवेदक द्वारा मूल लीजधारी की एवं अपनी माताजी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड नहीं की गयी है। कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड की मूल पत्रावली जोन कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिसकी तलाश जारी है। सीपीआरएमएस के रिकॉर्ड अनुसार उक्त भूखण्ड श्री भंवर लाल सैन पुत्र राम नारायण सैन के नाम से दर्ज है। आवेदक द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rajesh Gehlot S/o Bhawar Lal Gahlot को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।